संख्या-208/2019/3550/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 25 सितम्बर 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-80 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय समाज कल्याण के पत्र संख्या-968/स0क0/विकास/मु0मं0स0वि0यो0/मांग/2019-20 दिनांक-13.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22 मार्च 2019 में निहित व्यवस्था के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-80 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रूपया-25000.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रूपया-12500.00 लाख (रूपये एक अरब पच्चीस करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22 मार्च 2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये। संभावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाये।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि संबंधित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर उपलब्ध हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढावा मिलता है। किसी भी दशा में धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर मे जमा न की जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिए न किया जाये तथा शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का पुनर्विनियोग न किया जाये।

(4) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(5) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिये उक्त योजना हेतु वर्ष 2019-20 के लिये जनपदवार निर्धारित परिव्यय में ही समायोजित किया जायेगा। इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपयोगिता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या-9/71/35-आ-2/91-92 दिनांक-16.08.1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2019-20 में शासन से अनुमोदिन धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा, जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित है। अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-22 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-12-मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना-00-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22 मार्च 2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ0सं0-208/2019/3550/(1)/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6. वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।